न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 38 /2021 राजस्व वाद

राधेश्याम प्रजापत पुत्र श्री मांगू कुम्हार (प्रजापत) आयु वयस्क निवासी– फाकोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
2. चुन्नी लाल पुत्र श्री मांगू कुम्हार (प्रजापत) आयु वयस्क निवासी– फाकोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88,89 राज0टि0एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता वादी

:: निर्णय :: दिनांक–

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट का इस आशय का पेश किया कि सरहद फाकोलिया पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 भूमि स्थित है। उक्त भूमि जो कि विरासत से दर्ज हुई है। वादी का नाम राधेश्याम प्रजापत है, जो सभी दस्तावेजात राशन कार्ड, बैंक खाता, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पहचानपत्र मे वादी का नाम राधेश्याम प्रजापत दर्ज है, लेकिन वादी का नाम बोलता नाम श्यामा होने से उक्त राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम विरासत से नामान्तरणकरण खोला गया, तब राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना जांच पड़ताल किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.20 12:49:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

वादी का नाम राधेश्याम है, जिसका बोलता नाम श्यामा लिख दिया गया है। जिससे वादी के वैध हक अधिकारो का हनन हो रहा है व सरकारी सुख सुविधाओ से वंचित हो रहा है। मांगू उर्फ मांगी लाल जी के राधेश्याम व श्यामा नाम के अलग लड़के नही होकर वादी ही राधेश्याम व श्यामा है। वादी को दिनांक 04 चार मार्च 2021 दो हजार इक्कीस को नकल प्राप्त करने पर वादी का नाम राधेश्याम के बजाय श्यामा दर्ज होने की जानकारी हुई। इस पर वादी प्रतिवादी संख्या 01 के समक्ष कई बार उपस्थित होकर राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा दिनांक 08 आठ मार्च 2021 दो हजार इक्कीस को प्रतिवादी संख्या 01 के पास जाने व दुरूस्त करने हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादी साफ तौर इंकार हो गया व प्रतिवादी द्वारा वादी को सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने की हिदायत दी। राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम राधेश्याम के बजाय श्यामा दर्ज होने से वादी के वैध हक अधिकारो का हनन हो रहा है। इस कारण से वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात के राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम श्यामा पुत्र श्री मांगू के बजाय राधेश्याम पुत्र श्री मांगू दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है, तदनुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। ...आदि।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये व प्रतिवादीगण उपस्थित हुए व सहमति जाहिर की व जवाब नही देना चाहते जवाब बन्द किया जाता है।

प्रकरण मे वादी की ओर से अपने शपथपत्र व प्रतिवादी भाई चुन्नी लाल व स्वतंत्र गवाह के शपथपत्र पेश किये गये व दस्तावेजात .पेश किये गये।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व रेकार्ड मे दर्ज राजस्व अभिलेख मे श्यामा पुत्र श्री मांगू के बजाय

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.20 12:49:41 IST
Reason: SelfAttested

राधेश्याम पुत्र श्री मांगू अंकित कराये जाने व दुरूस्ती करने हेतु हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे भी राधेश्याम पुत्र श्री मांगू दर्ज है व भाई प्रतिवादी चुन्नी लाल द्वारा भी श्यामा का नाम राधेश्याम होने बाबत कथन किया गया व नाम दुरूस्त करने मे किसी प्रकार की आपत्ति नही होना बताया गया। अतः वादी का नाम श्यामा पुत्र श्री मांगू के बजाय राधेश्याम पुत्र श्री मांगू दुरूस्त करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त नाम दुरूस्त होने पर भविष्य मे होने वाले सभी प्रभावो एव श्यामा पुत्र मागु के प्रति सभी देयताओ के लिए वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का आवेदन स्वीकार कर सरहद फाकोलिया पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 के राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम श्यामा पुत्र श्री मांगू के बजाय राधेश्याम पुत्र श्री मांगू दुरूस्त कराया जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

उक्त निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उक्तानुसार डिकी जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.20 12:49:41 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] सिंह)
[illegible]
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा, भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर / राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89 आर.टि.एक्ट
राधेश्याम प्रजापत पुत्र श्री मांगु कुम्हार (प्रजापत) आयु वयस्क निवासी– फाकोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
2. चुन्नी लाल पुत्र श्री मांगू कुम्हार (प्रजापत) आयु वयस्क निवासी– फाकोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88,89 राज0टि0एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

———

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 13.09.2021 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि ——और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि —— को दी जायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.20 12:49:41 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार कर वा[illegible] का [illegible]पत्र स्वीकार कर सरहद फाकोलिया पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक [illegible] चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी न[illegible] 227, 228, [illegible] 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 के राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम [illegible]मा पुत्र श्री मांगू के बजाय

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

राधेश्याम पुत्र श्री मांगू दुरूस्त कराया जावे। इसी अनुसार निर्णय व डिक्री की पालना हो। खर्चा फरीकेन अपना– अपना वहन करे।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

आज दिनांक 13.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.20 12:49:41 IST
Reason: SelfAttested